प्रारूप –एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, कोरबा

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रायोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात:–

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
कोरबा	कटघोरा	रंजना	0.349 हे	झोकानाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु (पुरक)

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 03/04/25 को समय 12.00 बजे से स्थान सामुदायिक भवन रंजना पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि का अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	झोकानाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु (पुरक)
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	04 परिवार
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	04 परिवार
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हाँ
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हाँ
8	परियोजना की कुल लागत	रू0 129.70लाख
9	परियोजना से होने वाले लाभ	परियोजना से 182 हे में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे है तथा उसपर होने वाला संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है।
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो, तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा (छ. ग.)

(अजीत वसंत)
कलेक्टर
जिला –कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग